अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

2.1 अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजनाएं

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से मैट्रिक/माध्यमिक उपरांत कोर्स करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए 1944 में तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 1998-99 में मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजनाएं प्रारंभ की गई थी। योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना का अभाव, वित्तीय प्रबंधन में कमियां, विद्यार्थियों के आवेदनों की अपर्याप्त जाँच, छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमितताएं, संदिग्ध फर्जी भुगतान, कमजोर निगरानी तंत्र, इत्यादि के मामले प्रकाश में आए। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के परिणाम/प्रभाविकता के आकलन करने के लिए विभाग द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था। जबकि संदिग्ध फर्जी भुगतानों सहित इस निष्पादन लेखापरीक्षा की कुल वित्तीय आपत्तियां ₹ 89.05 करोड़ की है; कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

मुख्य बिन्दु

योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की कवरेज का पता लगाने के लिए पात्र विद्यार्थियों का डाटाबेस एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

2015-19 के दौरान केवल 52.24 प्रतिशत आवेदकों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। 37 प्रतिशत स्वीकृत मामलों में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया था। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 7,757 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया, हालांकि राशि मंजूर की गई थी तथा कोषागार से भी निकाली गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.3)

व्यय के पूर्वानुमान के आधार पर अग्रिम में आहरित निधियां बैंक खातों में रखी गईं तथा अव्ययित निधियां सरकारी खाते में जमा नहीं की गई; परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 6.43 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.7.2)

विद्यार्थियों के आधार नंबरों की हेराफेरी करके ₹ 18.98 करोड़ का संदिग्ध फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

₹ 9.65 करोड़ की छात्रवृत्ति के भुगतान में धोखाधड़ी का संदेह था क्योंकि उनका विवरण उपलब्ध अभिलेखों के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

विद्यार्थियों के आय/जाति प्रमाण-पत्रों इत्यादि की अपर्याप्त जाँच के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.6)

राज्य से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ₹ 4.74 करोड़ का संदिग्ध फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.7)

निगरानी तंत्र कमजोर था। योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणाम/प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 और 2.1.9.2)

2.1.1 प्रस्तावना

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से माध्यमिक/मैट्रिक उपरांत शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए 1944 में तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 1998-99 में प्रारंभ की गई थीं। हालांकि, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय क्रमश: ₹ 2.50 लाख (2013-14 से प्रभावी) और ₹ 1.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा सितंबर 2018 से संशोधित करके ₹ 1.00 लाख से बढाकर ₹ 1.50 लाख कर दी गई थी। योजनाओं के लिए पात्रता हेतु विद्यार्थी हरियाणा के निवासी होने चाहिए। छात्रवृत्ति में (i) रखरखाव भत्ता (ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त भत्ते (iii) सभी अनिवार्य अप्रतिदेय फीस (iv) अध्ययन दौरे (v) थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार (vi) पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा कोर्स का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तक भत्ता और (vii) बुक बैंक, शामिल हैं। प्रत्येक मद के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि ***परिशिष्ट 2.1*** में दी गई है। विद्यार्थी के अच्छे आचरण तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त के साथ, छात्रवृत्ति एक बार स्वीकृत होने के उपरान्त शैक्षणिक कोर्स के पूरा होने तक की अवधि के लिए दी जानी थी। दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि डाकघरों/बैंकों में उनके खातों के माध्यम से भुगतान की जानी थी।

2.1.2 छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए संगठनात्मक स्थापना तथा प्रक्रिया

योजनाएं अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के संपूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लागू की गई थीं। राज्य में सात विभागों[1] द्वारा छात्रवृत्ति संवितरित की जा रही है। नमूना जाँच किये गए विभागों द्वारा छात्रवृत्ति संवितरण के लिए अनुसरित प्रक्रिया **चार्ट 2.1** में चित्रित है।

चार्ट 2.1: छात्रवृत्ति के संवितरण की प्रक्रिया दर्शाने वाला चार्ट

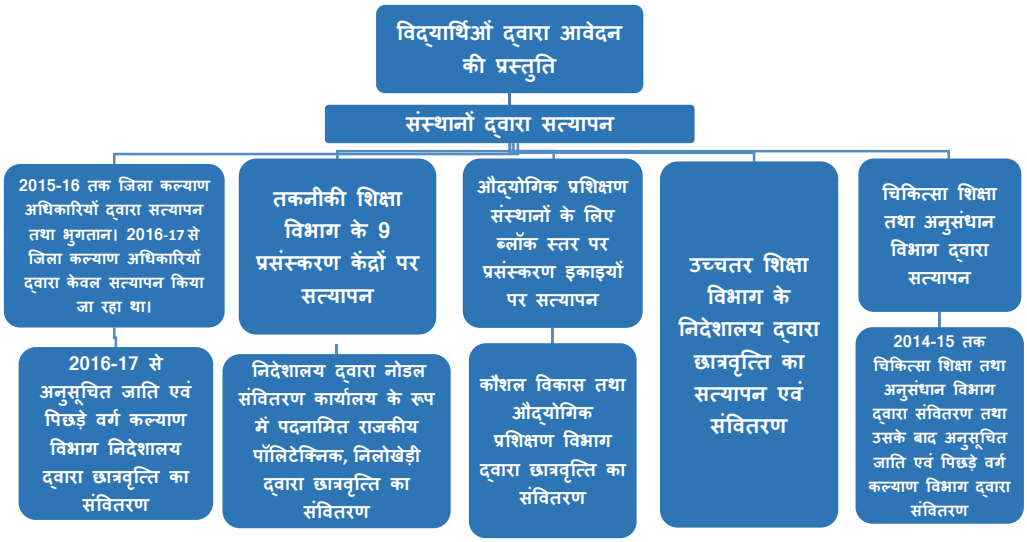

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- योजना की आयोजना एवं क्रियान्वयन कुशल एवं प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबंधन विवेकपूर्ण था;
- छात्रवृत्ति का संवितरण कुशल था और आवेदन-पत्रों की प्रासेसिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई थी; और
- विभिन्न स्तरों पर आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली पर्याप्त थी।

[1] (i) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग (सभी कोर्सों के लिए सभी श्रेणियों के राज्य से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, हरियाणा में अध्ययनरत चिकित्सा कोर्सों के सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए भी और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों को छोड़कर सभी कोर्सों के लिए सभी अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए), (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग (हरियाणा में पढ़ने वाले तकनीकी कोर्सों के सभी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए), (iii) कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (आई.टी.आई. कोर्सों के हरियाणा में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए), (iv) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग (वर्ष 2014-15 तक हरियाणा में पढ़ने वाले चिकित्सा कोर्सों के सभी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए), (v) उच्चतर शिक्षा विभाग (हरियाणा में बी.ए., बी.कॉम इत्यादि सामान्य कोर्सों के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए), (vi) माध्यमिक शिक्षा विभाग (11वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए) और (vii) चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (उसी विश्वविद्यालय में कृषि कोर्सों के लिए)।

2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2014-19 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी और अगस्त 2019 के मध्य की गई थी। छात्रवृत्ति के संवितरण में शामिल 7 विभागों में से पांच[2] प्रमुख विभाग छात्रवृत्तियों की संयुक्त राशि के आधार पर नमूना-जांच के लिए चयनित किए गए थे। इस अवधि के दौरान शेष दो विभागों द्वारा केवल ₹ नौ लाख की नगण्य राशि का वितरण किया गया था। सांख्यिकीय नमूना पद्धति का उपयोग करते हुए 22 जिलों में से सात[3] का चयन किया गया और प्रत्येक चयनित जिले में प्रत्येक चयनित विभाग के तीन संस्थानों (कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मामले में एक) को चुना गया था। तदनुसार, कुल 61 संस्थानों[4] का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, संस्थानों में मानव और भौतिक मूलभूत संरचना की उपलब्धता एवं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के संवितरण के आकलन के लिए 58 संस्थानों के 616 लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया था।

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग तथा इस विभाग के अन्य अधिकारियों, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ जनवरी 2019 में एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड एवं लेखापरीक्षा की सीमा पर चर्चा की गई थी। जुलाई 2020 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस में प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई थी। विभागों से प्राप्त उत्तरों और एग्जिट कॉन्फ्रेंस के विचार-विमर्श को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- दिसंबर 2010 और अप्रैल 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए योजना दिशानिर्देश।
- जुलाई 2011 और सितंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए योजना दिशानिर्देश।
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश।

---

2 (i) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग (iii) कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (iv) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और (v) उच्चतर शिक्षा विभाग।

3 (i) रोहतक, (ii) फरीदाबाद, (iii) यमुनानगर, (iv) सोनीपत, (v) भिवानी, (vi) फतेहाबाद (vii) महेंद्रगढ़।

4 (i) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (21), (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग (21), (iii) कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (7), और (iv) उच्चतर शिक्षा विभाग (12).

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 योजना और कार्यान्वयन

2.1.6.1 वार्षिक कार्य योजना तथा पात्र लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार नहीं किया गया

निधियों की आवश्यकता के व्यवस्थित एवं वास्तविक निर्धारण और पात्र लाभार्थियों की कवरेज सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2014-19 के दौरान पात्र लाभार्थियों की संख्या का आकलन और उनको समयबद्ध ढंग से कवर करने की रणनीति के लिए कोई वार्षिक कार्य योजना या भावी योजना तैयार नहीं की गई थी।
- नमूना-जांच किए गए जिलों में से किसी ने भी कोई वर्षवार डाटाबेस तैयार नहीं किया था जिसका प्रयोग आगामी वर्ष/वर्षों के लिए विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जा सके।
- विभागों द्वारा पात्र विद्यार्थियों का कोई डाटाबेस नहीं बनाया गया था। योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों के संबंध में फील्ड कार्यालयों से कोई डाटा एकत्र किए बिना या किसी भी सर्वेक्षण का संचालन किए बिना तदर्थ आधार पर छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या के बारे में अनुमान तैयार किये गए थे।
- वार्षिक कार्य योजना और पात्र विद्यार्थियों के डाटाबेस की अनुपस्थिति में, विभाग विद्यार्थियों के कवरेज का पता लगाने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण छूट गए विद्यार्थियों, यदि कोई हो, को कवर करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में राज्य में लाभार्थियों की अनुमानित संख्या की तुलना में लाभार्थियों की वास्तविक संख्या में व्यापक भिन्नता देखी गई, जैसाकि **चार्ट 2.2 और 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2 : अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की अनुमानित एवं वास्तविक संख्या

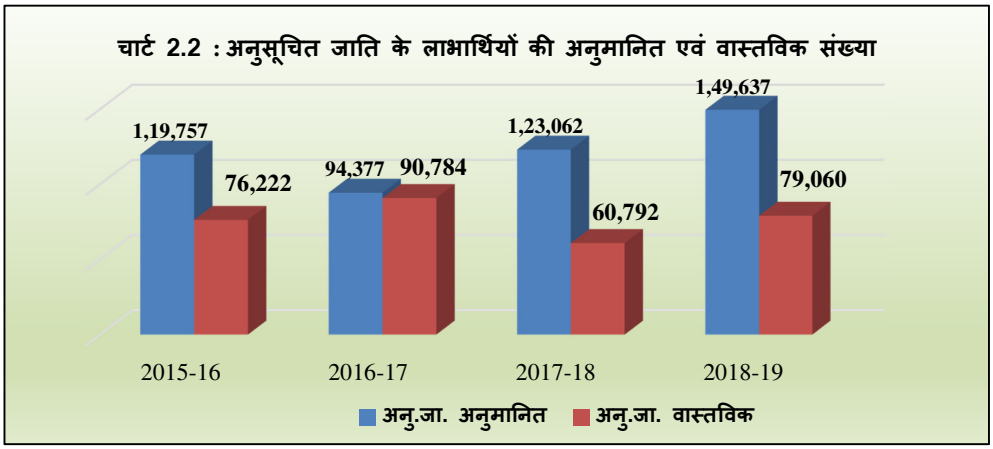

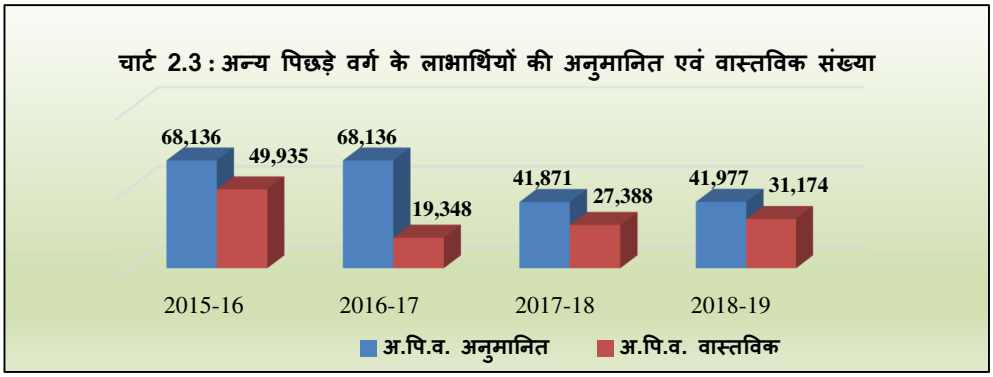

(स्रोत: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि वार्षिक कार्य योजनाएं अब संबंधित कार्यान्वयन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि विद्यार्थियों के दाखिले के आधार पर अनुमान तैयार किए गए थे। लाभार्थियों की अनुमानित और वास्तविक संख्या में भिन्नता के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय के मानदंड/छात्रवृत्ति की अल्प राशि को उत्तरदायी ठहराया।

लाभार्थिओं की अनुमानित संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया में देखी गई प्रणालीगत कमियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

सिफारिश: विभागों को सभी पात्र विद्यार्थियों का एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए तथा समयबद्ध तरीके से सभी पात्र विद्यार्थियों की कवरेज हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2.1.6.2 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या का कम होना

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या, जो 2013-14 से 2018-19 की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में लाभान्वित हुए, **चार्ट 2.4** में दी गई है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों की संख्या **चार्ट 2.5** में दी गई है।

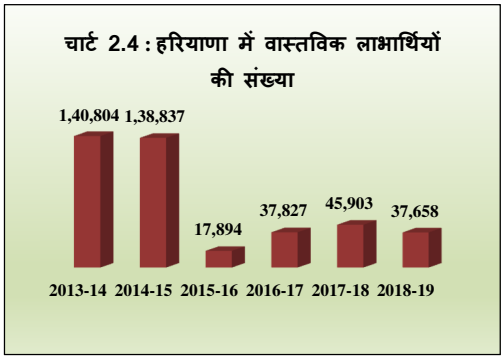

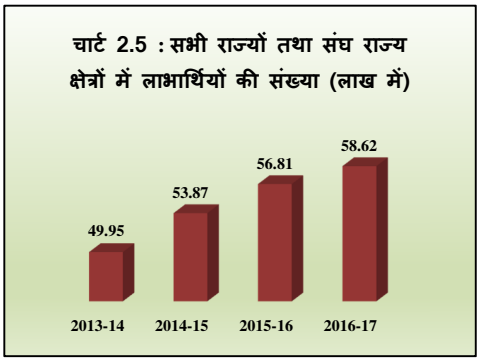

(स्रोत: हरियाणा की जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई।)

चार्ट सभी राज्यों में लाभार्थियों की बढ़ती प्रवृति को दर्शाते हैं जबकि हरियाणा में 2013-14 और 2014-15 की तुलना में 2015-19 के दौरान लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में लंबित मामलों की संख्या, 2014-15 के

बाद लाभार्थियों की संख्या में गिरावट का एक कारण थी, जैसा कि **अनुच्छेद 2.1.6.4** में चर्चा की गई है।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन-पत्रों की प्रोसेसिंग होने के कारण लाभार्थियों की संख्या में गिरावट हुई, क्योंकि हो सकता है कि आवेदक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने या आवेदन और अनुकूलन से संबंधित कुछ तकनीकी मुद्दों, आदि के बारे में जागरूक न हों। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभागों में मामलों की लंबनता देखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा आवेदकों की समस्याओं को हल करने में भी विभाग विफल रहा।

2.1.6.3 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान न करना

2015-19 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, संवितरित और असंवितरित छात्रवृत्ति की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: 2015-19 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, संवितरित छात्रवृत्ति और असंवितरित छात्रवृत्ति की स्थिति

जिस वर्ष से लाभार्थी संबंधित हैं	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	अनुमोदित आवेदनों की कुल संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति संवितरित की गई	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति संवितरित नहीं की गई	कुल वास्तविक आवेदनो के विरुद्ध लाभार्थियों की प्रतिशतता जिन्हें छात्रवृत्ति संवितरित की गई
	(छात्रों की संख्या लाख में है)				
2015-16	1.10	0.85	0.18	0.92	16.36
2016-17	0.46	0.38*	0.38	0.08	82.61
2017-18	0.46	0.46*	0.46	--	100.00
2018-19	0.66	0.54	0.38	0.28	57.58
कुल	**2.68**	**2.23**	**1.40**	**1.28**	**52.24**

* **इसमें पोर्टल बंद करने के बाद ऑफ़लाइन स्वीकृत किये गए मामले शामिल हैं।**

(स्रोत: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के वेबसाइट पोर्टल से ली गई जानकारी)

संबंधित विभागों ने छात्रवृत्तियों के संवितरण की कम प्रतिशतता का विश्लेषण नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया कि छात्रवृत्ति बहुत सारे उन लाभार्थियों को संवितरित नहीं की गई जिनको विभाग द्वारा संस्वीकृति प्रदान/सिफारिश की गई थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- जबकि 83 प्रतिशत आवेदनों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल 52 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी गई थी **(पैरा 2.1.7.1)**।
- 2014-18 के दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संस्वीकृति के बाद 92,383 विद्यार्थियों के लिए खजाने से ₹ 202.58 करोड़ की छात्रवृत्ति आहरित की गई थी। इनमें से 7,757 विद्यार्थियों को ₹ 17.98 करोड़ की छात्रवृत्ति असंवितरित रह गई। नोडल संवितरण अधिकारी ने बताया (जून 2019) कि तथ्यों के सत्यापन के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि आवेदन पत्र अपूर्ण आवेदनों/दस्तावेजों या अपात्रता के आधार पर रद्द किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पोर्टल डाटा के अनुसार रद्द किए गए/अपूर्ण आवेदनों की संख्या केवल 31,407 थी। छात्रवृत्ति का भुगतान न किए जाने के कारण विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभों से वंचित रह गए।

2.1.6.4 छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई

हरियाणा सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की। उपर्युक्त की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-19 की अवधि के दौरान नमूना-जांच किए गए विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी की गई थी जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी का विवरण

विभाग का नाम	छात्रों की कुल संख्या	छात्रवृत्ति देर से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (प्रतिशत)	देरी का औसत और देरी की सीमा (दाखिले के वित्तीय वर्ष के अंत से) (महीने)
तकनीकी शिक्षा विभाग#	11,167	7,182 (64.31)	7.52 (1-33)
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग##	41,035	35,000 (85.29)	6.88 (1-72)
उच्चतर शिक्षा विभाग	64,625	56,975 (88.16)	8.02 (1-11)

 # डाटा 21 चयनित संस्थानों से संबंधित है।

डाटा चयनित जिलों से संबंधित है।

(स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित जानकारी)

यह देखा गया था कि अधिकांश छात्र समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सके, जबकि कार्यान्वयन विभागों के पास छात्रिवृति के संवितरण में निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई मानक नहीं था।

छात्रवृत्ति के वितरण में देरी समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के निर्बाध अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए योजना के उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, और बिना कारण विद्यार्थियों की कठिनाई को बढाती है।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि राज्य सरकार ने अब सभी कार्यान्वयन विभागों को पोर्टल बंद होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए गए।

2.1.6.5 छात्रों का पढ़ाई छोड़ना

2011-19 की अवधि के दौरान चयनित 61 संस्थानों के विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने के संबंध में डाटा **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: 61 चयनित संस्थानों में अपनी पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण

विभाग का नाम	श्रेणी	कुल दाखिले	पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या	पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों की संख्या (प्रतिशतता)
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण	अनुसूचित जाति	4,358	2,628	1,409	321 (7)
	अन्य पिछड़े वर्ग	767	575	144	48 (6)
उच्चतर शिक्षा	अनुसूचित जाति	2,307	910	1,134	263 (11)
	अन्य पिछड़े वर्ग	1,566	577	744	245 (16)
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	अनुसूचित जाति	2,051	1,477	107	467 (23)
	अन्य पिछड़े वर्ग	105	55	0	50 (48)
तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जाति	4,716	1,240	1,359	2,117 (45)
	अन्य पिछड़े वर्ग	1,549	1,113	367	69 (4)
कुल		**17,419**	**8,575**	**5,264**	**3,580 (21)**

(स्रोत: चयनित संस्थानों के अभिलेखों से संकलित सूचना)

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के 17,419 विद्यार्थियों में से, 8,575 विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी की, 5,264 विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी थी और 3,580 विद्यार्थियों ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, हालांकि उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। पढ़ाई छोड़ने के कारण संस्थानों के अभिलेख में दर्ज नहीं थे। विभाग ने विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति हेतु योजना के अनुच्छेद X (iv) के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करना छोड़ देता है तो वह राज्य सरकार के विवेक पर छात्रवृत्ति की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए एक निवारक के रूप में भी इस विषय पर कोई नियम नहीं बनाया था।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि आंकड़ों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

छात्रवृत्ति के लिए निधि प्रवाह की प्रक्रिया **चार्ट 2.6** में दी गई है।

चार्ट 2.6: छात्रवृत्ति निधियों का प्रवाह

वर्ष 2014-15 तक, विभाग चैक के माध्यम से छात्रों को निधियां जारी कर रहे थे। 2015-16 से, छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थी छात्रों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जा रही है।

2.1.7.1 बजट प्रावधान एवं व्यय

योजना केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है। किसी भी योजना अवधि **(पंचवर्षीय)** के अंतिम वर्ष के दौरान योजना पर राज्य द्वारा किए गए व्यय को राज्य की प्रतिबद्ध जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है और प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा इसको अपने बजट प्रावधानों में से अगली योजना अवधि के दौरान वहन किया जाना अपेक्षित है। प्रतिबद्ध देयता से अधिक की राशि की आवश्यकता को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 2014-19 के दौरान बजट प्रावधान एवं किया गया व्यय **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: बजट आबंटन एवं वास्तविक व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट			वास्तविक व्यय[5]		कुल व्यय (प्रतिशत)
	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
2014-15	129.76	12.36	142.12	109.18	4.11	113.29(80)
2015-16	388.12	35.56	423.68	176.31	11.78	188.09(44)
2016-17	313.87	37.36	351.23	239.00	5.12	244.12(70)
2017-18	325.14	37.36	362.50	110.23	8.52	118.75(33)
2018-19	313.87	37.36	351.23	158.75	6.84	165.59(47)
कुल	**1,470.76**	**160.00**	**1,630.76**[6]	**793.47**	**36.37**	**829.84 (51)**

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे से निकाली गई सूचना)

कार्यान्वयन विभागों द्वारा किया गया वर्ष-वार व्यय ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि:

- हरियाणा सरकार द्वारा आवंटन का 49 प्रतिशत तक उपयोग नहीं किया गया था, उसी समय इस अवधि के दौरान अनुमानित संख्या की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी रही। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के वास्तविक आंकड़ों की अनुपस्थिति में, बजट अनुमानों को तदर्थ आधार पर बनाया गया था, जिससे लगातार बचत हुई। विभाग को सही अनुमान बनाने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की अनुमानित संख्या और उनकी हकदारियों के संदर्भ में बजट तैयार करना चाहिए।

- अगले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्ध जिम्मेवारी 2016-17 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष के लाभार्थियों से संबंधित व्यय के आधार पर तय की जानी थी; जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष ₹ 82.57 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग ने 2016-17 के व्यय से संबंधित सूचना भारत सरकार को नहीं भेजी। निर्धारित प्रपत्र में सूचना के

[5] इसमें पिछले वर्षों से संबंधित छात्रों पर किया गया व्यय शामिल है, लेकिन भुगतान संबंधित वर्षों के दौरान किया गया है।

[6] अनुसूचित जाति के लिए ₹ 261.11 करोड़ (2014-15: ₹ 27 करोड़, 2015-16: ₹ 68.67 करोड़, 2016-17 ₹ 107.35 करोड़, 2018-19: ₹ 58.09 करोड़) और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ₹ 27.29 करोड़ (2015-16: ₹ 14.94 करोड़, 2018-19: ₹ 12.35 करोड़) की निधियां भारत सरकार से प्राप्त हुई थी।

अभाव में, राज्य की प्रतिवर्ष ₹ 317.61 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में किए गए अधिकतम व्यय के आधार पर तय की गई थी। वर्ष 2017-18 से संबंधित छात्रों पर वास्तविक व्यय ₹ 102.25 करोड़ था जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबद्ध देयता के भीतर था। यदि 2016-17 से संबंधित लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर ₹ 82.57 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता तय की गई होती तो राज्य सरकार भारत सरकार से ₹ 19.68 करोड़ की निधियों का दावा करने की पात्र होती।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रतिबद्ध देयता तय करने के बारे में पुन:विचार करने का अनुरोध किया गया था (अक्तूबर 2015) तथा मामला उनके विचाराधीन था।

सिफारिश: राज्य सरकार को प्रतिबद्ध दायित्व की प्रणाली को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ मामले को उठाना चाहिए और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तरह साझा आधार पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

2.1.7.2 वित्तीय प्रबंधन की अनियमितताएं

हरियाणा में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम 2.10(बी)(5), यह निर्धारित करता है कि राजकोष से किसी धन का आहरण न किया जाए जब तक कि यह तत्काल संवितरण के लिए अपेक्षित न हो। नियम 2.15 निर्धारित करता है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि नकद शेष पूर्वानुमानित व्यय को पूरा करने की आवश्यकता से अधिक है तो अतिरिक्त राशि निकटवर्ती खजाने में वापस जमा की जानी चाहिए। वित्त विभाग ने निर्देश जारी किए (मई 2014) कि छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भुगतान सीधे अंतिम लाभार्थियों को किए जाएं; वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी मध्यवर्ती बैंक खाते बंद कर दिए जाएं।

लाभार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति जारी करने के लिए कार्यान्वयन विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

I. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से छात्रों के खातों में खजाने से सीधे छात्रवृत्ति जारी करते हैं।

II. वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए मध्यवर्ती खाते खोले हैं।

छात्रवृत्ति के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जांच के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं:

(i) तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी खाते से ₹ 360.03 करोड़[7] की निधियां आहरित की (2014-19 के दौरान) तथा बैंक खातों में जमा की तथा फिर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खातों से किया। उपरोक्त राशि में तकनीकी

[7] (i) उच्चतर शिक्षा विभाग ₹ 151.03 करोड़ (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग ₹ 209 करोड़।

शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष (मार्च 2017) के अंत में बजट को रद्द होने से बचाने के लिए आहरित ₹ 25 करोड़ शामिल थे, हालांकि, यह राशि 2017-18 में छात्रों को संवितरित कर दी गई थी। आवश्यकता के पूर्वानुमान में निधियों का आहरण और इन निधियों को बैंक खातों में रखा जाना सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 5.99 करोड़[8] के ब्याज की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि राशियां नियमित आकस्मिक बिलों पर वाऊचरों के बिना आहरित की जा रही थीं; जबकि ये राशियां सार आकस्मिक बिलों पर आहरित की जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इन आहरणों के विरूद्ध व्यय किया जाना या अव्ययित राशियों का रिफंड सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) भी आकस्मिक बिलों के तंत्र के माध्यम से इन निधियों के उपयोग की निगरानी नहीं कर सके।

(ii) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और कौशल विकास एवं औद्यौगिक प्रशिक्षण विभाग में ₹ 10.93 करोड़ की राशि 2015-19[9] के दौरान असंवितरित रह गई और यह राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 120 बैंकर्ज चैकों के रूप में लौटाई गई थी। विभाग ने इस राशि को खजाने में जमा नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप निधियां सरकारी खाते से अनियमित रूप से बाहर रहीं, जिससे ₹ 25.27 लाख के ब्याज की हानि हुई। प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि उनके विभाग की असंवितरित निधियों को राजकोष में नवंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान जमा करवा दिया गया था।

(iii) तकनीकी शिक्षा विभाग के नोडल संवितरण कार्यालय में ₹ 144.13 लाख के 421 चैक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने के लिए तैयार किए गए थे (फरवरी 2011 तथा नवंबर 2013 के मध्य)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 421 चेकों में से ₹ 30.21 लाख के 279 चेक न तो लाभार्थियों को संवितरित किए गए थे और न ही राशि सरकारी खाते में जमा की गई थी। ये चेक जारी करने की तारीख से 65 से 98 माह ***(परिशिष्ट 2.3)*** तक की अवधि के लिए विभाग के पास रहे और ₹ 30.21 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.61 लाख के ब्याज की हानि हुई। नोडल संवितरण अधिकारी ने बताया (जून 2019) कि मामले की जांच की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2020)।

(iv) उच्चतर शिक्षा विभाग में रोहिताश डिग्री कॉलेज, अटेली और रोहिताश प्रबंधन संस्थान अटेली में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ₹ 65.17 लाख के 1,442 लेन-देन अनुचित आधार मैपिंग के कारण विफल हो गए। विभाग ने आधार नंबरों को सही करने के बाद असंवितरित निधियों का दोबारा प्रेषण करने का प्रयास नहीं किया। वित्त विभाग के आदेशों (सितंबर 2017) के अनुसार उक्त राशि तीन विफल प्रयासों के बाद विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जानी अपेक्षित थी। योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इस राशि का भुगतान कॉलेजों को किया गया था। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का संवितरण सत्यापित नहीं किया जा सका। इन मामलों में निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उच्चतर शिक्षा

---

[8] (i) उच्चतर शिक्षा विभाग ₹ 2.32 करोड़ (ii) तकनीकी शिक्षा विभाग ₹ 3.67 करोड़।

[9] 2015-16: ₹ 1.17 लाख, 2016-17: ₹ 6.16 लाख, 2017-18: ₹ 74.43 लाख और 2018-19: ₹ 1,011.36 लाख।

विभाग ने बताया (मई 2020) कि कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए (मार्च 2020) थे और चूक के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की कि भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाना चाहिए और बताया कि वर्तमान प्रणाली को रोक दिया जाएगा।

2.1.7.3 प्रतिक्रिया फ़ाइलों के साथ बैंक शेष का मिलान न करना

2014-18 के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के नोडल संवितरण कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रतिक्रिया फ़ाइलों[10] के सॉफ्ट डाटा से पता चला कि 7,757 विद्यार्थियों को दी जाने वाली ₹ 17.98 करोड़ की राशि असंवितरित रह गई (जुलाई 2018)। लेखापरीक्षा में पाया कि योजना के बैंक खाते में केवल ₹ 10.71 करोड़ शेष था (जुलाई 2018)। अतः, ₹ 7.27 करोड़ का अंतर था। विभाग ने खाते में कम अंतिम शेष के कारणों को पता करने के लिए बैंक विवरणी की राशि का प्रतिक्रिया फ़ाइलों के साथ मिलान नहीं किया। मिलान के अभाव में निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, यह आश्वासन दिया गया था कि मिलान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा और परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित कर दिए जाएंगे। तथापि, आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2020)।

2.1.8 छात्रवृत्ति के संवितरण में अनियमितताएं

भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश (दिसंबर 2010) और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुदेश (जुलाई 2015) निर्धारित करते हैं कि योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को राशि संस्वीकृत करने से पहले, सभी संस्वीकृति प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन फार्म समुचित रूप से भरे गए हैं और अन्य दस्तावेज जैसे आय और जाति प्रमाण-पत्र (तहसीलदार/उप-मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी), फीस के विवरण (संबंधित संस्थान द्वारा सत्यापित), विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर, संबंधित संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय इत्यादि से संबद्धता इत्यादि प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदन की अपर्याप्त जांच के कई मामले लेखापरीक्षा के ध्यान में आए जिनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

2.1.8.1 संदिग्ध फर्जी भुगतान

(i) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की प्रतिक्रिया फाइलों के डाटा के अनुसार, सोनीपत, फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर, झज्जर, पलवल और पानीपत जिलों में अनुसूचित जातियों के 7,022 विद्यार्थियों को 2014-19 के दौरान ₹ 41.16 करोड़ की छात्रवृत्ति संवितरित की गई। लेखापरीक्षा में पाया कि:

- विभाग में रखी गई संस्वीकृति फाइलों में उल्लिखित लाभार्थियों के नाम और आधार नंबर ₹ 13.80 करोड़ के 1,690 मामलों में बैंक रिस्पांस फाइलों में उल्लिखित नाम और आधार नंबरों से मेल नहीं खाते थे ***(परिशिष्ट 2.4)***।

[10] छात्रवृत्ति के सफल/असफल भुगतान दर्शाती बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई फ़ाइल।

- 756 मामलों के संबंध में, संस्वीकृति फाइलों में लाभार्थियों के नाम के विरूद्ध गलत[11] आधार नंबरों का उल्लेख था। जब रिस्पांस फाइलों में उल्लिखित छात्रवृत्ति पाने वाले के नाम की तुलना संस्वीकृति फाइलों से की गई, तो यह पाया गया कि संस्वीकृति फाइलों में इंगित लाभार्थियों के नाम उन व्यक्तियों से मेल नहीं खाते जिन्हें बैंकों द्वारा भुगतान किए गए थे। अत:, ₹ 5.11 करोड़ की छात्रवृत्ति के संदिग्ध फर्जी भुगतान किए गए थे ***(परिशिष्ट 2.4)***।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि मामला राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच के अधीन था।

(ii) 2014-15 में आई.आई.ई.टी., समानी (कुरूक्षेत्र) द्वारा 407 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संस्वीकृतियां जारी की गई थीं (मार्च 2016)। इन संस्वीकृतियों के संबंध में 313 रिस्पांस फाइलों की जाँच से पता चला कि 2014-15 के लिए प्रथम किश्त का भुगतान करने के लिए चार विद्यार्थियों के नाम के विरूद्ध दो आधार नंबर प्रयुक्त किए गए थे और 2014-15 के लिए दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए 30 विद्यार्थियों के विरूद्ध 15 आधार नंबर प्रयुक्त किए गए थे। इस प्रकार, 34 विभिन्न विद्यार्थियों के भुगतानों का दावा करने के लिए 17 आधार नबर दो-दो बार प्रयुक्त किए गए थे। इसके कारण 17 छात्रों को ₹ 5.02 लाख का दोहरा भुगतान किया गया। नोडल संवितरण अधिकारी ने बताया (मई 2020) कि छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा आधार नंबरों की जांच नहीं की गई थी।

इसी प्रकार, दो संस्थानों (डी.ए.वी. अभियांत्रिकी कॉलेज, कनीना और बी.एल.एस. जखोदा) के तीन लाभार्थियों को 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए नोडल संवितरण कार्यालय, नीलोखेड़ी द्वारा आधार नंबर बदलकर ₹ 1.63 लाख का भुगतान किया गया था।

इस तरह, आधार नंबरों की हेराफेरी करके ₹ 18.98 करोड़ का संदिग्ध फर्जी भुगतान किया गया। विभाग द्वारा यह मिलान करने के लिए या जाँच करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी कि बैंक द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को भुगतान किए जाएं जिनके लिए छात्रवृत्ति की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आवेदकों के आधार नंबरों की जांच एवं प्रमाणीकरण के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की थी।

सिफारिश: विभाग फर्जी भुगतानों का पता लगाने के लिए सभी मामलों की जांच करे। इसके अतिरिक्त, विभाग आवेदकों के आधार नंबरों के प्रमाणीकरण और संस्वीकृतियों के संदर्भ में विद्यार्थियों को किए गए भुगतान की जांच करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करे।

2.1.8.2 विश्वविद्यालयों के साथ अपंजीकृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान

उच्चतर शिक्षा विभाग ने 2014-18 के दौरान दो कॉलेजों (रोहिताश डिग्री कॉलेज, अटेली और रोहिताश प्रबंधन संस्थान, अटेली) को अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के 3,598 विद्यार्थियों के लिए ₹ 10.54 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया क्योंकि इन विद्यार्थियों को इन संस्थानों में अध्ययनरत दर्शाया गया था। ये संस्थान 2014-17 के दौरान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक तथा 2017-18 के दौरान इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर से संबद्ध

[11] आवेदकों के आधार नंबर मेल नहीं खा रहे थे क्योंकि भुगतान अलग आधार नंबरों वाले व्यक्तियों को किए गए थे।

थे। विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्सों में दाखिले केवल विश्वविद्यालय के माध्यम से ही करवाए जाते हैं और उनकी परीक्षा भी उसी संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा ही करवाई जाती है। लेखापरीक्षा में इन विश्वविद्यालयों से इन कॉलेजों में दाखिल सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण डाटा प्राप्त किया गया और इन संस्थानों में अध्ययनरत दिखाए गए सभी विद्यार्थियों के ब्योरों का विश्वविद्यालय के पंजीकरण डाटा से मिलान किया गया तथा पाया कि:

- इन संस्थानों ने 2,490 विद्यार्थियों, जो संबंधित विश्वविद्यालयों में पंजीकृत नहीं थे, के लिए ₹ 7.36 करोड़ की छात्रवृत्ति के भुगतान का दावा किया और उसे प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, सामान्य श्रेणी के 12 विद्यार्थियों ने अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी की ₹ 0.07 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त की तथा सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के 182 विद्यार्थियों ने अनुसूचित जाति श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त की। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.52 करोड़ की अधिक छात्रवृत्ति की राशि दी गयी। हालांकि, 102 विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति श्रेणी के थे, उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अभिलेखों से विद्यार्थियों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

- 532 विद्यार्थियों, जिनके लिए कॉलेजों को ₹ 1.70 करोड़ का भुगतान किया गया था, के विवरण विश्वविद्यालय के डाटा से मेल खाते थे परंतु उनके कोर्स विश्वविद्यालय के अभिलेख के साथ मेल नहीं खाते थे।

इस प्रकार, 3,216 छात्रों के संबंध में ₹ 9.65 करोड़ की छात्रवृत्ति का फर्जी भुगतान होने का संदेह था। निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने बताया (मई 2020) कि संबंधित संस्थानों के सभी दावों की जांच करने के लिए अक्तूबर 2019 में विभाग द्वारा एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था।

सिफारिश: विभाग, विश्वविद्यालयों/ बोर्डों के पंजीकरण डाटा के साथ संस्थानों में अध्ययनरत दर्शाए गए सभी विद्यार्थियों के विवरणों का सत्यापन करने के लिए एक यंत्रावली स्थापित करे।

2.1.8.3 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किए गए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का संवितरण

राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी और सहायक नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की जा रही थी। विभाग प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी, जिसने इन कोर्सों के लिए दाखिला लिया हो, के लिए एक यूनिक पंजीकरण नंबर जारी करता था।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने हिसार और सोनीपत जिलों में दो कॉलेजों[12] के 75 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को ₹ 31.68 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित की। लेखापरीक्षा में पाया कि 75 में से 28 विद्यार्थी, जिन्हें 2016-18 के दौरान ₹ 11.56 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विद्यार्थियों के पंजीकरण नंबरों के सत्यापन के लिए कोई

[12] (i) चौधरी भागमल नर्सिंग कालेज, हिसार: 11 और (ii) गजराज नर्सिंग संस्थान, सोनीपत: 17

प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। विभाग ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के साथ उनके पंजीकरण के सत्यापन के बिना विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति संवितरित कर दी। निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि विद्यार्थी उनके विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे।

2.1.8.4 निर्धारित सीमा से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान

(i) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी और सहायक नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कोर्सों के लिए फीस पहले वर्ष के लिए ₹ 63,000 और दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए ₹ 46,000 तय की थी (जुलाई 2013)। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत ने 2015-18 के दौरान सहायक नर्सिंग एवं मिडवाइफरी और सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कोर्सों के लिए फतेहाबाद और सोनीपत जिलों के विभिन्न संस्थानों के अनुसूचित जातियों के 2,333 विद्यार्थियों में से 458[13] विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में ₹ 48.47[14] लाख राशि की अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा निर्धारित फीस से प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत ने बताया (अगस्त 2019) कि संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों से अधिक छात्रवृत्ति की वसूली की जाएगी।

(ii) हरियाणा राज्य दाखिला एवं फीस निर्धारण समिति ने आई.टी.एम. मुरथल में बी.टेक/बी.ई. कोर्सों के लिए प्रति विद्यार्थी ट्यूशन फीस ₹ 40,000 और विकास निधि ₹ 10,000 तय की थी। फिर भी नोडल संवितरण कार्यालय, नीलोखेड़ी ने 2016-18 के दौरान ट्यूशन फीस और विकास निधि का भुगतान ₹ 44,000 और ₹ 11,000 की दर से किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.57 लाख (अनुसूचित जातियों के 33 विद्यार्थियों को एक किश्त अर्थात् ₹ 82,500 और अनुसूचित जातियों के 30 विद्यार्थियों को दूसरी किश्त अर्थात् ₹ 75,000) का अधिक भुगतान हुआ। नोडल संवितरण कार्यालय ने स्वीकार किया (मई 2020) कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत फीस संरचना के अनुसार भुगतान किया गया था।

2.1.8.5 छात्रवृत्ति का दोहरा भुगतान

(i) आर.एन. कॉलेज के अनुसूचित जातियों के 20 विद्यार्थियों को 2014-15 सत्र की प्रथम किश्त के रूप में दो बार अर्थात् फरवरी 2016 और मार्च 2016 में ₹ 5.70 लाख की छात्रवृत्ति का संवितरण किया गया था। इसी प्रकार, एक अन्य कॉलेज में 2014-15 के सत्र के लिए एक विद्यार्थी को ₹ 0.15 लाख की प्रथम किश्त दो बार संस्वीकृत की गई थी और साथ ही दो बार अर्थात जुलाई 2015 और फरवरी 2016 में, भुगतान भी किया गया। अन्य मामलों में, दो विद्यार्थियों को एक ही संस्वीकृति के विरूद्ध दो बार ₹ 0.51 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ₹ 6.36 लाख की छात्रवृत्ति का 23 विद्यार्थियों को दो बार भुगतान

---

[13] अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, फतेहाबाद के लिए 334 और जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत के लिए 124

[14] अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, फतेहाबाद के लिए ₹ 46.72 लाख और जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत के लिए ₹ 1.75 लाख।

किया गया था। नोडल संवितरण कार्यालय ने स्वीकार किया (मई 2020) कि तत्कालीन छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा दोहरा भुगतान किया गया था।

(ii) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत और रोहतक में 2014-19 के दौरान अनुसूचित जातियों के 26 विद्यार्थियों को ₹ 14.89[15] लाख की राशि का दो बार भुगतान किया था।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने बताया (फरवरी 2019) कि लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के दोहरे भुगतान की वसूली की जाएगी। हालांकि, इस विषय पर आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मई 2020)। प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि उनके विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति के दोहरे भुगतान का मामला राज्य सतर्कता ब्यूरो के जांच अधीन था।

2.1.8.6 आय, जाति, शिक्षा पात्रता, आदि के बारे में जाँच का अभाव

2014-19 की अवधि के लिए चयनित जिलों में तकनीकी शिक्षा विभाग के छ: प्रसंस्करण केंद्रों के 11,167 छात्रवृत्ति आवेदनों में से 5,585 की जांच से पता चला कि 478 आवेदनों में दस्तावेजों के सत्यापन में कमी थी जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

- आठ संस्थानों के अनुसूचित जातियों के 55 आवेदकों[16] ने पांच प्रसंस्करण केंद्रों में फर्जी आय/निवासी/जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर छात्रवृत्ति का दावा किया। आवेदनों के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का हरियाणा सरकार की वेबसाइट ***edisha.gov.in*** से लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन किया गया तथा यह देखा गया था कि इन प्रमाण-पत्रों की न तो संस्थानों द्वारा और न ही संबंधित प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा जाँच की गई थी। प्रमाणपत्रों के अन्य विवरणों के साथ-साथ आवेदकों के नाम को मानवीय/इलेक्ट्रॉनिक विधि से बदल दिया गया/संपादित किया गया था। यहां तक कि फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते समय मूल प्रमाण-पत्र धारक के फोटो और प्रमाण पत्र संख्या को बदला नहीं गया था। इस प्रकार, इन मामलों में ₹ 24.91 लाख के फर्जी भुगतान का संदेह था।

- 35 मामलों[17] में आय के शपथ-पत्र पर साक्षी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे लेकिन ये शपथ-पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए गए थे। न तो संस्थानों और न ही प्रसंस्करण केंद्रों ने शपथ-पत्रों की ठीक से जाँच की और ₹ 7.42 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया।

- 16 संस्थानों में 142 आवेदकों[18] ने स्व-घोषणा आय शपथ-पत्रों या स्व-घोषणा आय शपथ-पत्रों की फोटो कॉपी के आधार पर छात्रवृत्ति का दावा किया गया था, जो नोटरी द्वारा सत्यापित किए गए थे, जबकि तहसीलदार/उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र

---

15 अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग: ₹ 2.03 लाख (पांच विद्यार्थी), जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत: ₹ 1.01 लाख, (दो विद्यार्थी), जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक: ₹ 0.51 लाख (एक विद्यार्थी) और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग: ₹ 11.34 लाख (18 विद्यार्थी)।

16 फरीदाबाद: नौ (₹ 2.19 लाख), सिरसा: एक (₹ 0.27 लाख), सोनीपत: एक (₹ 0.70 लाख), नारनौल: पांच (₹ 1.94 लाख) और झज्जर: 39 (₹ 19.81लाख)

17 फरीदाबाद: 28 (₹ 3.86 लाख), झज्जर: सात (₹ 3.56 लाख)

18 झज्जर: 37 (₹ 18.80 लाख), सिरसा: छ: (₹ 1.32 लाख), सोनीपत: दो (₹ 0.87 लाख) और नारनौल: 77 (₹ 30.22 लाख) और अम्बाला: 20 (₹ 8.35 लाख).

प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इन आवेदकों को अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 59.56 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी।

- 13 संस्थानों से संबंधित अनुसूचित जाति के 27 आवेदकों[19] की वार्षिक पैतृक आय आवेदनों के साथ संलग्न आय प्रमाण के अनुसार ₹ 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक पाई गई। ये आवेदक योजना के अंतर्गत लाभ की अनुमति के लिए पात्र नहीं थे। फिर भी, इन अपात्र विद्यार्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के बिना ₹ 14.09 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया था।

- प्रसंस्करण केंद्र, नारनौल के आठ मामलों में यह भी देखा गया था कि आवेदकों के पिता सरकारी कर्मचारी थे और डी.डी.ओ. द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, लेकिन अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं पाए गए थे। इस प्रकार, इन लाभार्थियों को ₹ 6.07 लाख का भुगतान अनियमित था।

- पांच प्रसंस्करण केंद्रों में कुल 211 आवेदन[20] अपूर्ण पाए गए क्योंकि आय/निवास/जाति प्रमाण-पत्र/आवश्यक शैक्षणिक पात्रता के प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं थे। विभाग ने इन विद्यार्थियों को ₹ 78.91 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया। प्रसंस्करण केंद्र, झज्जर, नारनौल, सिरसा और सोनीपत के प्राचार्यों ने बताया (मार्च-अगस्त 2019) कि विद्यार्थियों से राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे। परंतु, वसूली नहीं की गई थी (सितंबर 2020)।

2.1.8.7 राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संदिग्ध फर्जी भुगतान

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2015) के अनुसार, राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्थानों की विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता के सत्यापन के बाद ही जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना था। संस्थानों के बारे में कोई संदेह होने पर या जहां राज्य से बाहर के 20 से अधिक छात्र शामिल थे, जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने और तथ्यों को सत्यापित करने की आवश्यकता थी।

निदेशालय तथा जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक और फतेहाबाद ने 2014-19 के दौरान राज्य से बाहर निजी विश्वविद्यालयों में विभिन्न कोर्सों[21] में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों के 349 विद्यार्थियों को ₹ 2.76 करोड़ की राशि संवितरित की ***(परिशिष्ट 2.5)***। लेखापरीक्षा द्वारा इन विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जाँच किए जाने पर यह पाया गया कि इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में नामांकित नहीं किया गया था। न तो जिला कल्याण अधिकारियों और न ही अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने विश्वविद्यालयों से दावों की वास्तविकता के तथ्यों को सत्यापित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ का संदिग्ध फर्जी भुगतान

---

19 झज्जर: चार (₹ 2.03 लाख), सिरसा: दो (₹ 0.53 लाख), फरीदाबाद: एक (₹ 0.14 लाख), सोनीपत: 11 (₹ 6.89 लाख) और नारनौल: नौ (₹ 4.50 लाख).

20 (i) झज्जर: 108 (₹ 52.53 लाख), (ii) नारनौल: 24 (₹ 7.19 लाख), (iii) सिरसा: 75 (₹ 18.05 लाख), (iv) फरीदाबाद: दो (₹ 0.27 लाख) और (v) सोनीपत: दो (₹ 0.87 लाख).

21 बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक, अग्नि सुरक्षा में डिप्लोमा, कृषि विज्ञान में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, एम.ए. (राजनीति विज्ञान), एम.ए. (इतिहास), बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.एम., एम.बी.ए., आदि।

हुआ। प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि मामला राज्य सतर्कता ब्यूरो की जाँच के अधीन था (मई 2020)।

इसी तरह, जिला कल्याण कार्यालय, फतेहाबाद और रोहतक में 2014-15 के दौरान 212 विद्यार्थियों, जो कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर से संबद्ध बताए गए अध्ययन केंद्रों के विभिन्न कोर्सों में अध्ययनरत थे, को ₹ 1.98 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्ययन केंद्रों की सूची प्राप्त की लेकिन इन अध्ययन केंद्रों के नाम सूची में नहीं थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालय से अध्ययन केंद्रों की वास्तविकता के तथ्यों के सत्यापन के बिना छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था और इन विद्यार्थियों को किए गए ₹ 1.98 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.5)*** के भुगतान में धोखाधड़ी होने का संदेह था। जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद ने बताया (जून 2020) कि मामले की जाँच की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2020)।

सिफारिश: धोखाधड़ी से भुगतान के इस तरह के अन्य मामलों को खोजने के लिए विभाग द्वारा सभी मामलों की जाँच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन जिला कल्याण अधिकारिओं ने विश्वविद्यालयों द्वारा दायर किये गए दावों की सत्यता जानने के लिए तत्थों की जाँच नहीं की थी, उनके विरुद्ध कारवाई की जानी चाहिए।

2.1.8.8 शिक्षा के एक ही चरण के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश (दिसंबर 2010) यह प्रावधान करते हैं कि शिक्षा के एक चरण में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षा के उसी चरण में दूसरे विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं थे, अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण करने के बाद एक छात्र, बी.कॉम. में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का पात्र नहीं था।

2015-19 की अवधि के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की छात्रवृत्ति की बैंक प्रतिक्रिया फाइलों की जांच से पता चला कि अनुसूचित जातियों के 78,795 विद्यार्थियों में से 658 (एक प्रतिशत) ने विभिन्न निजी और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में अलग-अलग कोर्सों में दो या दो से अधिक बार प्रवेश लिया और विभाग ने इन विद्यार्थियों को एक ही चरण के अनुवर्ती कोर्सों के लिए ₹ 64.74 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया था। इसी तरह, 37,006 विद्यार्थियों में से 142 ने एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक कोर्स पूरा करने के बाद दो या अधिक बार उसी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न कोर्सों में प्रवेश लिया और इन विद्यार्थियों को ₹ 21.12 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 85.86 लाख की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान हुआ।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि मामले में छूट प्रदान करने के लिए मामला भारत सरकार के पास भेजा गया था (दिसंबर 2019)।

2.1.8.9 छात्रवृत्ति का संदिग्ध भुगतान

ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह विश्वविद्यालय, चूरू ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को 71 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनके संस्थान में विभिन्न कोर्सों के लिए छात्रवृत्ति की अदायगी हेतु अनुरोध किया था (अक्तूबर 2013), लेकिन उनका दावा जिला

कल्याण अधिकारी, सिरसा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि इसे देर से प्रस्तुत किया गया। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने जिला कल्याण अधिकारी, सिरसा को व्यक्तिगत रूप से इन दावों को सत्यापित करने का निर्देश दिया (मार्च 2014), ताकि विलंब को माफ किया जा सके। जिला कल्याण अधिकारी, सिरसा ने अपनी रिपोर्ट में बताया (मई 2014) कि मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स के 71 में से 55 आवेदन नियमानुकूल नहीं पाए गए और इसलिए, भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया कि उसी संस्थान के ₹ 4.48 करोड़ के दावों को अन्य जिला कल्याण अधिकारियों और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा **तालिका 2.5** में दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार किया गया था (अक्तूबर 2019)।

तालिका 2.5: छात्रवृत्ति के संदिग्ध भुगतान की विवरणी

जिला	संवितरण प्राधिकारी	विद्यार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
रोहतक	जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक	280	2.06
झज्जर	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	15	0.08
यमुनानगर	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	41	0.25
फतेहाबाद	जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद	117	0.97
रोहतक	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	172	1.12
कुल		**625**	**4.48**

(स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संकलित जानकारी)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्यार्थियों के आवासीय पते अलग अलग जगह होने के बावजूद उनके खाते केवल कुछ ही बैंकों में खोले गए थे। रोहतक जिले में 172 विद्यार्थियों में से 54 विद्यार्थियों (31 प्रतिशत) के मामले में एक ही मोबाइल नंबर (X) का प्रयोग किया गया था और 31 विद्यार्थियों (18 प्रतिशत) द्वारा मोबाइल नंबर (Y) का प्रयोग किया गया था। विद्यार्थियों द्वारा अपने आवासीय पतों को नजरंदाज करके केवल कुछ ही बैंकों में खाते खोलना और इतने विद्यार्थियों द्वारा एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करना छात्रवृत्ति के दुर्भावनापूर्ण आहरण और संवितरण का संकेत है।

- जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा एक छात्र को ₹ 0.83 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी (मार्च 2014) जिसे ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह विश्वविद्यालय में मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स में अध्ययनरत दिखाया गया था, लेकिन उसके साथ ही वह स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान कोर्स में डिप्लोमा कर रहा था और ₹ 0.44 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया था (जनवरी 2016)। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र 2014-15 में एक अन्य विद्यार्थी को ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह विश्वविद्यालय से मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स में नामांकित दिखाया गया था, इस विद्यार्थी को उसी शैक्षणिक सत्र में अन्य कोर्स एम.ए. (मनोविज्ञान) में भी दिखाया गया था, जिसे सितंबर 2014 और जुलाई 2015 में ₹ 0.46 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी।

- शैक्षणिक सत्र 2014-15 में एक छात्र को सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में पॉलिटेक्निक में दाखिल दिखाया गया था, जिसे जुलाई 2015 में जिला कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा ₹ 50,460 की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी, को शैक्षणिक सत्र 2016-17 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में पॉलिटेक्निक में दाखिल दिखाया गया था और अनुसूचित जाति एवं

पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मार्च 2018 में उसे ₹ 40,500 की छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि ये मामले राज्य सतर्कता ब्यूरो की जांच के अंतर्गत थे।

2.1.8.10 राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को किया गया भुगतान

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों (दिसंबर 2010) में बताया गया है कि आवेदक जहां का निवासी हो, छात्रवृत्ति उसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

प्रसंस्करण केंद्र, झज्जर ने बी.एल.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जाखोदा (झज्जर) के अनुसूचित जातियों के तीन आवेदकों को 2014-19 के दौरान ₹ 1.52 लाख की छात्रवृत्ति दी, जो हरियाणा के निवासी नहीं थे। प्रसंस्करण केंद्र, झज्जर के प्राचार्य ने बताया (मार्च 2019) कि विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे। हालाँकि, वसूली नहीं की गई थी (सितंबर 2020)।

2.1.8.11 छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स की अवधि दो वर्ष की थी और इस प्रकार, विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति की अधिकतम चार छ:माही किस्तों का दावा किया जाना था। यह पाया गया था कि बी.एल.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जाखोदा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स के अनुसूचित जातियों के 186 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों ने प्रति छात्र ₹ 50,800 प्रति वर्ष के हिसाब से दो वर्ष के बजाय दो वर्ष और छ: माह (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया; जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.54 लाख (10 x ₹ 25,400) की अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। नोडल संवितरण कार्यालय ने बताया (जून 2019) कि मामले की जांच की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2020)।

2.1.8.12 अधिक उम्र के विद्यार्थियों को भुगतान

हरियाणा सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 47 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार, संस्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा यह जांच की जानी अपेक्षित थी कि कोर्स पूरा करने के बाद आवेदक के पास सरकारी सेवाओं में आवेदन करने के लिए न्यूनतम तीन वर्ष (एक वर्ष के कोर्स के लिए 43 वर्ष) शेष हों।

वर्ष 2015-19 के पोर्टल डाटा के विश्लेषण से पता चला कि अनुसूचित जातियों के 78 मामलों में, पंजीकरण के समय आवेदकों की आयु 43 वर्ष से अधिक थी। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं थे। नमूना-जांच किए गए जिलों में, इन 78 मामलों में से तीन मामले[22] जांच के अधीन आए। इन तीन विद्यार्थियों को ₹ 1.30 लाख की छात्रवृत्ति संवितरित

[22] बी.एल.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, झज्जर के दो मामले, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कनीना (महेंद्रगढ़) का एक मामला।

की गई थी। विभाग को सभी शेष मामलों का सत्यापन करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था या नहीं।

2.1.9. निगरानी और मूल्यांकन

2.1.9.1 निगरानी

(i) विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए रिटर्न का निर्धारण न किया जाना

योजना दिशानिर्देशों के अनुच्छेद X (i) में पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ये दिशानिर्देश, आगे प्रावधान करते हैं कि छात्रवृत्ति, विद्यार्थियों की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर आधारित है। यदि किसी संस्थान के प्रमुख द्वारा किसी भी समय यह सूचित किया जाता है कि कोई विद्यार्थी उसके स्वयं के कृत्य के कारण संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है या कदाचार का दोषी है, जैसे कि हड़ताल करना या उसमें भाग लेना, संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितता आदि; तो छात्रवृत्ति को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति को रद्द कर सकता है या रोक सकता है या आगे की अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, भुगतान को रोक सकता है।

परन्तु, राज्य सरकार द्वारा संस्थानों के लिए ऐसी कोई रिटर्न निर्धारित नहीं की गई थी। अत: विद्यार्थियों की प्रगति और आचरण का आकलन करने के लिए निर्धारित निगरानी तंत्र का पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार चूक करने वाले लाभार्थियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकी और छात्रवृत्ति रूटीन में संवितरित की जाती रही।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग (मई 2020) ने बताया कि योजनाओं को लागू करने वाले विभागों को योजना के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(ii) शैक्षिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा, जो समूह 'ए' अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, शैक्षणिक संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने और सत्यापन के बाद रद्द किए गए संस्थानों की संख्या के बारे में अवगत करवाने के लिए कहा था (जून 2016)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2014-19 के दौरान संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि निदेशालय या जिला स्तर पर फील्ड निरीक्षण का कोई डाटा तैयार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण किया और 58 संस्थानों के 616 विद्यार्थियों से संपर्क किया, जिसके परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- आठ संस्थानों के 40 विद्यार्थियों ने बताया कि उनके संस्थानों में संतोषजनक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था।
- 20 संस्थानों के 165 छात्रों ने बताया कि उनके संस्थानों में बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

- नौ संस्थानों के 51 छात्रों ने बताया कि उनके संस्थानों में केवल एक शिक्षक उपलब्ध था तथा उसके द्वारा सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा था।

यदि वार्षिक निरीक्षण की व्यवस्था लागू होती, तो इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता था।

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2019) कि विभाग द्वारा सभी संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, समय-समय पर निदेशालय के आदेशों पर संस्थानों के निरीक्षण किए जा रहे थे। इस प्रकार, दिशानिर्देशों में निर्धारित किए जाने के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में संस्थानों पर नियंत्रण रखने का तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

(iii) राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र

योजना के दिशानिर्देशों (दिसंबर 2010) में यह प्रावधान है कि राज्य, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित किया जाएगा। योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र न तो जिला स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर मौजूद था।

लेखापरीक्षा में 58 संस्थानों के 616 विद्यार्थियों के फील्ड सर्वेक्षण में पता चला कि:

- 10 संस्थानों के 82 विद्यार्थियों ने बताया कि संस्थानों ने उनसे ब्लैंक चेक लिए थे।
- छः संस्थानों के 31 विद्यार्थियों ने सूचित किया कि उनके खातों को संबंधित संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा था।
- 15 संस्थानों के 87 विद्यार्थियों ने सूचित किया कि उनके ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड (8 छात्र), चेक बुक (19 छात्र) और पासबुक (60 छात्र) संबंधित संस्थानों के कब्जे में थे और उनके द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे।
- 200 विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने छात्रवृत्ति के अलावा ₹ 500 और ₹ 1,03,500 के बीच की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था।
- 109 विद्यार्थियों ने बताया कि संस्थानों ने फीस के रूप में रखरखाव भत्ता सहित छात्रवृत्ति की पूरी राशि ली थी।
- 202 विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें रखरखाव भत्ता नहीं मिला।

यदि शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया होता तो इन अनियमितताओं को उचित स्तर पर दूर किया जा सकता था।

उप-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने स्वीकार किया (मई 2019) कि विभाग में कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं था।

2.1.9.2 योजना का मूल्यांकन

योजना आयोग की केंद्र प्रायोजित योजना पुनर्गठन समिति ने नियमित आधार पर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया (सितंबर 2011) क्योंकि यह देखा गया था कि इन योजनाओं के परिणामों का या इनके प्रभाव का आकलन करने के लिए योजनाओं का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान विभाग द्वारा योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना के प्रभाव को मापने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई परिणाम संकेतक तय नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, योजना की प्रभावशीलता/परिणाम का आकलन नहीं किया जा सका। सरकार द्वारा मापने योग्य परिणाम संकेतक जैसे कि विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई पूरी करना, आजीविका कमाने के लिए रोज़गार प्राप्त करना/स्वरोजगार में लगे रहना आदि तय करने चाहिएं और योजना के परिणाम का आकलन करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने (मई 2020) बताया कि योजना के मूल्यांकन से संबंधित मामला विभाग के पास विचाराधीन था।

2.1.10. निष्कर्ष

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजनाएं बिना पर्याप्त योजना, निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के लागु की गई। परिणामस्वरुप, यह योजना समयबद्ध और सही तरीके से योग्य विद्यार्थियों को उचित वित्तीय सहायता देने के उदेश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और विद्यार्थी योजना के लाभों से वंचित रहे। योजना के दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी किये गए सरकार के निर्देशों की पूरी तरह से पालना नहीं की गई और फ्रॉड एवं छात्रवृत्तियों के अनियमित संवितरण को रोकने में प्रणालीगत नियंत्रण अकुशल थे। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के योग्य विद्यार्थियों में से 57 प्रतिशत को धनराशि नहीं मिली, जबकि इस दौरान योजना के अन्तर्गत 49 प्रतिशत धनराशि शेष दिखाई गई। यह योजना की अक्षमता और वित्तीय प्रबंधन की अविवेकता को इंगित करता है। हरियाणा सरकार ने समय रहते योजना के मूल्यांकन के कदम नहीं उठाये और छात्रों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक प्लेटफार्म नहीं दे सकी। कुल मिलाकर, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, योजना की कमियों को तुरंत समाप्त करने और पूरे राज्य पर इसके प्रभाव की दृष्टि से उपचारात्मक कार्रवाई करने की जरुरत है, जैसे कि इस रिपोर्ट में सिफ़ारिशों में चिह्नांकित की गई हैं।

2.1.11 सिफारिशें

2.1.11.1 सरकार द्वारा निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

(क) समयबद्ध ढंग से कवरेज के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु सभी पात्र विद्यार्थियों के डाटाबेस की तैयारी करना;

(ख) भारत सरकार के साथ प्रतिबद्ध दायित्व की प्रणाली को समाप्त करने और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तरह साझेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाना;

(ग) आवेदकों के आधार नंबरों के प्रमाणीकरण और संस्वीकृतियों के संदर्भ में बैंकों द्वारा विद्यार्थियों को किए गए भुगतान की जांच के लिए उचित प्रणाली विकसित करना;

(घ) संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयों/बोर्डों के पंजीकरण डाटा के साथ-साथ उनके विवरणों के सत्यापन हेतु एक तंत्र स्थापित करना;

(ङ) राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों से दावों की वास्तविकता के तथ्यों की पुष्टि नहीं करने के लिए जिला कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना;

(च) निधियों को मध्यस्त बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने के बजाय आवेदन-पत्र अपलोड करने से लेकर सीधे लाभार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति क्रेडिट करने तक के लिए शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करना; तथा

(छ) संस्थानों द्वारा रिटर्न जमा करने के रूप में निगरानी तंत्र विकसित करना, शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के लिए एक समय सीमा बनाना और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

2.1.11.2 लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच के माध्यम से दर्शाए गए छात्रवृत्ति के अनियमित और संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतानों के दृष्टांतों के आलोक में सरकार अनियमित भुगतानों और कदाचार के जोखिम को कम करने के लिए सभी समान मामलों की एक विस्तृत जांच करनी चाहिए। कपटपूर्ण भुगतान के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए तथा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने बताया (मई 2020) कि अनुशंसाओं पर विचार किया जाएगा।